परिपत्र संख्या 03 / 2022

Pz (4)/Pz(4) 18 13/5/22 Approved 14/05

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/विविध/पार्ट–I/2022/5449 दिनांक : 11/05/2022

~:~ परिपत्र ~:~

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज्य सरकार का राजस्व अर्जन करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन कार्य सम्पादित किया जाता है। जिससे आमजन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन हेतु उपस्थित होता है। कार्यालय व्यवस्थार्थ एवं पंजीयन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है। जिनकी पालना समस्त उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

1. कार्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। अनावश्यक दस्तावेज, पत्रादि, बिखरे हुए नहीं रखे जाये। पत्रावलियां क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित संधारित की जावे।
2. कार्यालय में समय पर उपस्थित हो। पक्षकारों का कार्य अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जावे।
3. पक्षकारों एवं आमजनों से मृदु व्यवहार रखें। अनावश्यक वाद–विवाद से बचें। पक्षकार द्वारा पंजीयन संबंधी जानकारी चाहने पर राज्य सरकार की अधिसूचना/परिपत्र आदि की उसे सही जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आमजन हेतु स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट दी जाती रही है। इन अधिसूचनाओं की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराई जावे जिससे राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ पक्षकार द्वारा लिया जा सके।
5. सरकारी कार्य के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों की सेवा नहीं ली जावे।
6. विभागीय निर्देशानुसार दस्तावेजों का पंजीयन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय अवधि में पंजीयन दस्तावेज लौटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
7. पंजीयन कार्यालय में बिना पंजीयन प्रक्रियाधीन कोई भी दस्तावेज नहीं होना चाहिए। यदि दस्तावेज पंजीयन योग्य है तो पंजीयन प्रक्रियाधीन होना चाहिए अन्यथा दस्तावेज मीमो सहित पक्षकार को कमी पूर्ति हेतु लौटाया जाना चाहिए और मीमो की प्रति कार्यालय में उपलब्ध रहनी चाहिए, जिससे दस्तावेज के पंजीयन नहीं करने संबंधी कोई शिकायत आये तो उसकी जांच सही प्रकार से की जा सके।
8. पंजीबद्ध दस्तावेजों को स्कैन कराकर सजिल्द रिकॉर्ड में सुव्यवस्थित तरीके से रखा जावे।
9. आमजन के लिये कार्यालय में बैठने तथा पीने के पानी आदि की उचित व्यवस्था रखी जावे। कार्यालय निरीक्षण में उक्त संबंध में कमी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया क्रमवार की जावे। क्रम तोडकर पंजीयन कार्यवाही करने से आमजन में रोष उत्पन्न होता है।

(शरद मेहरा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन / विविध / पार्ट–I / 2022 / 5450–6011 दिनांक : 11/05/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
3. निजी–सचिव, महानिरीक्षक, मुख्यालय अजमेर
4. समस्त उप. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
6. समस्त उप पंजीयकगण(पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।

(सीमा शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।